

# अनुमण्डल कार्यालय, मोहनियाँ (कैमूर)

(सामाजिक सुरक्षा शाखा)

पत्रांक ..... 525

दिनांक ..... 18.3.15

दूरभाष-06187-222340

फैक्स- 06187-222644

E-mail:-sdo-mohanniya-bih@nic.in

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
मोहनियाँ

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,  
मोहनियाँ।

विषय:-

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत अनुदान भुगतान से संबंधित स्वीकृत्यादेश का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त अभिलेख एवं जॉच प्रतिवेदन तथा आपके अनुशंसा प्रस्ताव के अधार पर प्राकृति एवं दुर्घटना से हुई मृत्यु के उपरान्त राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत निम्नांकित लाभार्थियों को मो0 20,000/- (बीस हजार) रू0 प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लाभार्थियों को स्वीकृत अनुदान की राशि का चेक अनुमण्डल नजारात, मोहनियाँ से प्राप्त कर लाभार्थियों को उचित पहचान पर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि आवेदिका की पूर्व में इस मद से भुगतान किया गया है अथवा नहीं। भुगतान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। इस पत्र के साथ मूल अभिलेख भी भेजा जा रहा है। लाभार्थी को यदि अग्रिम भुगतान किया गया हो तो इसका समायोजन अवश्यक कर लें। भुगतानों में किसी भी तरह की अनुयमितता की सारी जिम्मेवारी आपकी होगी।

क्रमांक	RTPS आवेदन सं0	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/मोहल्ला	पंचायत	मृत्यु की तिथि को मृतक का उम्र	बी0पी0एल0 क्रमांक	लेखा संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत अनुदान की राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1500017	अकली कुंवर	स्व0 जिउत मुसहर	बिन्दपुरवा	बदुपर	49	268	64/14-15	20,000.00	विशेष घटक
2	1500011	धनेसरी देवी	स्व0 सिताराम राम	बरेज	बेलौड़ी	46	58	65/14-15	20,000.00	विशेष घटक
<b>कुल</b>									40,000.00	

(कुल रुपये चालीस हजार मात्र)

विश्वासभाजन

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
मोहनियाँ।

ज्ञापांक...../सा0सु0 दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

नाजीर, अनुमण्डल कार्यालय मोहनियाँ को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि का विपत्र तैयार कर कोषागार से राशि की निकासी के पश्चात अभिलंब उक्त राशि को चेक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनियाँ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :-

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, कैमूर (भमुआ) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

कोषागार पदाधिकारी, कैमूर (भमुआ) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
मोहनियाँ।

# अनुमण्डल कार्यालय, मोहनियाँ (कैमूर)

(सामाजिक सुरक्षा शाखा)

पत्रांक 526  
दिनांक 18/3/15

दूरभाष-06187-222340

फैक्स- 06187-222644

E-mail:-sdo-mohanniya-bih@nic.in

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
मोहनियाँ

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,  
मोहनियाँ।

विषय:-

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत अनुदान भुगतान से संबंधित स्वीकृत्यादेश का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त अभिलेख एवं जॉच प्रतिवेदन तथा आपके अनुशंसा प्रस्ताव के अधार पर प्राकृति एवं दुर्घटना से हुई मृत्यु के उपरान्त राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत निम्नांकित लाभार्थियों को मो0 20,000/- (बीस हजार) रू0 प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लाभार्थियों को स्वीकृत अनुदान की राशि का चेक अनुमण्डल नजारा, मोहनियाँ से प्राप्त कर लाभार्थियों को उचित पहचान पर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि आवेदिका की पूर्व में इस मद से भुगतान किया गया है अथवा नहीं। भुगतान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। इस पत्र के साथ मूल अभिलेख भी भेजा जा रहा है। लाभार्थी को यदि अग्रिम भुगतान किया गया हो तो इसका समायोजन अवश्य कर लें। भुगतानों में किसी भी तरह की अनुयमितता की सारी जिम्मेवारी आपकी होगी।

क्रमांक	RTPS आवेदन सं0	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/मोहल्ला	पंचायत	मृत्यु की तिथि को मृतक का उम्र	बी0पी0एल0 क्रमांक	लेखा संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत अनुदान की राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1500014	बिंद कुवंर	स्व0 रामदयाल पाण्डेय	सोन्धी	पानापुर	45	68	63/14-15	20,000.00	सामान्य घटक
कुल									20,000.00	

(कुल रूपये बीस हजार मात्र)

विश्वसभाजन

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
मोहनियाँ।

ज्ञापांक...../सा0सु0 दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

नाजीर, अनुमण्डल कार्यालय मोहनियाँ को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि का विपत्र तैयार कर कोषागार से राशि की निकासी के पश्चात अभिलंब उक्त राशि की चेक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनियाँ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :-

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, कैमूर (भमुआ) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

कोषागार पदाधिकारी, कैमूर (भमुआ) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
मोहनियाँ।